समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09.09.2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19.10.2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद **श्री बीरेन्द्र कुमार पे0 श्री दीप ना0 मंडल सा0 नरसिंह बाग थाना मधेपुरा जिला मधेपुरा** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया और बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण कार्यालय के ज्ञापांक 32/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-02/1987(मधेपुरा थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण आवेदन में अपना पक्ष रखते हुए अंकित किया गया है कि कृषि कार्यो में व्यस्त रहने के कारण भूलवश अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करवा सका, जबकि अनुज्ञप्ति वर्ष 2012 तक नवीकृत है। इन्होंने स्पष्टीकरण से मुक्त कर सत्यापन कराने हेतु एक मौका देने का अनुरोध किया है।

लोक सभा आम चुनाव-2014 के अवसर पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.2014 एवं 15.03.2014 को कराने हेतु निदेश जारी किया गया था। अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष, मधेपुरा के संयुक्त प्रतिवेदन ज्ञापांक 259-2 दिनांक 18.03.2014 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 2012 तक ही नवीकृत है, उसके बाद इन्होंने अपने शस्त्र की अनुज्ञप्ति का नवीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं समर्पित किया है और न ही नवीकरण से संबंधित जमा किए गए कोषागार चलान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने अद्यतन नवीकरण शुल्क जमा नहीं किया है और न ही नवीकरण के लिए कोई प्रयास ही किया है। स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। इस उदासीनता के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार हैं, जो अनुज्ञप्ति की शर्त्तों को पूरा नहीं करते है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए के उल्लंघन का दोषी मानते **हुए श्री बीरेन्द्र कुमार पे0 श्री दीप ना0 मंडल सा0 नरसिंह बाग थाना मधेपुरा जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-02/1987(मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है तथा धारा-21 के तहत् उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपनी दो नाली बन्दूक सं0-सी./5-5696 को मधेपुरा थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगें।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति पंजी में इस आशय की प्रवृष्टि करवाकर हस्ताक्षर अंकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 237 /श0, दिनांक 29-4-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री बीरेन्द्र कुमार पे0 श्री दीप ना0 मंडल सा0 नरसिंह बाग थाना मधेपुरा जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।